


# अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद।

सदिग्ध/अवैध जमाबंदी रद्द अभिलेख सं० ५६/२०१८-१९

बिहार (झारखंड) भूमि सुधार अधिनियम १९५० की धारा ४(h) के तहत जाँच एवं कार्रवाई से संबंधित।


संबंधित।

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्त
१६/५/१९	<p>झारखंड सरकार के आदेश-२०७४/रा० दिनांक-१३.०५.२०१६</p> <p>सहपटित-श्री अनुज मुखर्जी निर्देशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-३-खा० न० निति-११९/८५/२३०८/रा० दिनांक ०३.०९.१९८५ एवं सह-पटित राजस्व विभागीय परिपत्र संख्या-९१४/रा० दिनांक ०९.१२.१९९८ में निहित निर्देश के अनुपालन में गैरमजकूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच प्रारम्भ की गयी। जाँच के क्रम में हल्का राजस्व उपनिरीक्षक (राजस्व कर्मचारी) के द्वारा प्रतिवेदित किया गया विवरणी निम्नवत है-</p> <p>मौजा-आमाघाटा मौजा न०-०९ खाता न० २८ प्लॉट न० ३३,१८४,१०८,१८७,१३८ रकबा ३.४० की भूमि जो गैरमजकूआ खास अनाबाद बिहार(झारखंड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-११ के जिल्द संख्या ०१ के पृष्ठ संख्या १६५ पर जमाबंदी रैयत श्री/श्रीमति धनबाद विकास हाँसिंग कॉर्पोरेटिव प्रा० लि० के नाम से कायम है।</p> <p>हल्का राजस्व उपनिरीक्षक(राजस्व कर्मचारी) के द्वारा जांचोपरांत उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को सदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है। जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी किना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध कोढ़कर बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।</p> <p>प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखंड) भूमि सुधार अधिनियम १९५० की धारा ४(h) के तहत जाँच किया जाना वाछनीय प्रतीत होता है।</p> <p>अत- उपरोक्त जाँच प्रतिवेदन पर अचल-निरीक्षक का मतव्य प्राप्त करे। अभिलेख दिनांक २७/५/१९ को रखे।</p>	



अचल अधिकारी,  
धनबाद।


अभिलेख उपस्थापित। अचल निरीक्षक से मतव्य / प्रतिवेदन अप्राप्त है।  
अभिलेख दिनांक 10/4/19 को रखे।

  
अचल अधिकारी  
धनबाद।

10/4/19

अभिलेख उपास्थिपित। अद्योहस्ताक्षरी निर्वाचन कार्य में व्यस्त रहने के कारण अभिलेख की सुनवाई नहीं हो सका।

अभिलेख दिनांक 24/4/19 को रखे।  
10/6/20

  
अचल अधिकारी  
धनबाद।

10/6/20

अभिलेख उपस्थापित। अचल निरीक्षक का प्रतिवेदन मतव्य सहित प्राप्त। प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में विपक्षी को नोटिस निर्गत करे। अभिलेख दिनांक 20/6/20 को रखे।


  
अचल अधिकारी  
धनबाद।


20/6/20

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख के अवलोकनोपरान्त पाया कि मौजा आमवाटा मौजा नं० 09 खाता 28 प्लॉट नं० 33184, 108, 182, 138 रकबा 340 भूमि से सवधित है। आवेदित भूमि गत सर्वे खतियान के अनुसार गैरआवाद खाते की भूमि है। जमावदी रैयत के खोज बीन के उपरान्त पता नहीं चल सका, जिसके कारण बिना नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है (सुलभ प्रसंग हेतु नोटिस की प्रति सलग्न)। आवेदित भूमि दाखिल खारिज केस नं० ( ) के अनुसार कायम है। तत्कालीन अचल अधिकारी, धनबाद द्वारा उक्त पजी को सदेहास्पद माना गया है। जिसे सवधित उप निरीक्षक एवं अचल निरीक्षक ने उक्त जमावदी को रद्द हेतु प्रस्ताव प्रतिवेदन अनुशसा सहित समर्पित किया

अतः जॉच प्रतिवेदन के आलोक में जमावदी रद्द हेतु अभिलेख भूमि सुधार उपसमाहर्ता धनबाद को भेजे।

लेखापित एवं सशोधत।

  
अचल अधिकारी,  
धनबाद।

  
10-6-20  
अचल अधिकारी,  
धनबाद।